संख्या-04/2016/317/52-2-16-2(270)/13

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बांदा, बलरामपुर, बाराबंकी, एवं गाजीपुर।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 21 मार्च, 2016

विषयः- अल्पसंख्यक समुदाय के सार्वजनिक कब्रिस्तानों / अन्त्येष्टि स्थलों की चहारदीवारी निर्माण हेतु डी0 आर0डी0ए0 के पी0एल0ए0 में रक्षित वित्तीय वर्ष 2013-14 की दितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सर्वे कमिश्नर वक्फ उ०प्र० का पत्र संख्या 1208/ व०आ०- 31(88)/2016 दिनांक 23.02.2016 तथा पत्र संख्या 134/व०आ०- 31(88)/2016 दिनांक 10.03.2016, जिलाधिकारी, बलरामपुर का पत्र संख्या- 786/ अ०सं०क०/ कब्रि०बाउ०वाल/2015-16 दिनांक 29.02.2016 तथा जिलाधिकरी बाराबंकी का पत्र संख्या-1446/अ0सं0क0/ बा0उ0- (2013-14)/2015-16 दिनांक 08-03-2016, के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अल्पसंख्यक समुदाय के सार्वजनिक कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की चहारदीवारी निर्माण हेतु निम्नलिखित जनपदों की वित्तीय वर्ष 2013-14 की अवशेष दितीय किश्त की धनराशि रु0 778.4185 लाख (रू0 सात करोड़ अठहत्तर लाख चार हजार एक सौ पच्चासी मात्र) जो डी.आर.डी.ए. के पी.एल.ए. में रखी है, को, निम्नलिखित विवरण के अनुसार, पी.एल.ए. से अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति/सहमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि संबंधित जनपदो के जिलाधिकारी पी.एल.ए. में रखी धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करने के पूर्व वित्तीय वर्ष 2013-14 की प्रथम किश्त की धनराशि से कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच अपने स्तर पर स्वतन्त्र रूप से परीक्षण कराते हुए सुनिश्चित करने एवं उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही वर्ष 2013-14 हेतु स्वीकृत दितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा कराये गये कार्यो की उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा गुणवत्ता से संबंधित आख्या शासन को नियमित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चत करेगे । धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा ।

जनपदों को अवमुक्त की जा रही धनराशि का विवरण -:

क्र0सं0	जनपद का नाम	आवंटित कुल धनराशि(लाख रूपये में)	डी0आर0डी0ए0 के पी0एल0ए0 में जमा	डी0आर0डी0ए0 के पी0 एल0 ए0 से अवमुक्त कराये जाने	किश्त प्रथम /द्वितीय)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

			धनराशि धनराशि(रू0 लाख) में	हेतु प्रस्तावित धनराशि (रू0 लाख में)	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	बांदा	119.988	59.99	59.99	II
2	बलरामपुर	581.942	290.971	290.971	II
3	बाराबंकी	560.944	280.472	280.472	II
4	गाजीपुर	293.971	146.9855	146.9855	II
	योग	रू0 778.4185			

कुल योग (रू0 सात करोड़ अठहत्तर लाख चार हजार एक सौ पच्चासी मात्र)

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-11- 482 /दस-2016, दिनांक 17 मार्च 2016 मे प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या-04/2016/317/52-2-16-2(270)/13 तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सर्वे आयुक्त वक्फ, उ0प्र0, लखनऊ।
2- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, सी. एण्ड डी.एस., उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5- मुख्य विकास अधिकारी, बांदा, बलरामपुर, बाराबंकी एवं गाजीपुर
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी बांदा, बलरामपुर, बाराबंकी एवं गाजीपुर
7- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकरी, बांदा, बलरामपुर, बाराबंकी एवं गाजीपुर
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
विशेष कार्याधिकारी ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।